16 जुलाई 2015 के ए.पी.(डीआर सीरीज) परिपत्र सं. 4 का **अनुबंध**

कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना (ESOP) फार्म

भारतीय कंपनी जिसने कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना (ESOP) के अंतर्गत शेयर और/ अथवा स्वेट ईक्विटी शेयर जारी किए हैं उसके द्वारा फाइल की जाने वाली विवरणी

(जब भी विदेशी निवेशकों को कंपनी द्वारा कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना (ESOP) के अंतर्गत शेयर और/अथवा स्वेट ईक्विटी शेयर जारी किए जाएं तो तत्संबंधी घोषणा उसके द्वारा अपने प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के मार्फत भारतीय रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय के पास फाइल की जानी चाहिए जिसके क्षेत्राधिकार में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है)

I. कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना (ESOP) के अंतर्गत शेयर और/अथवा स्वेट ईक्विटी शेयर जारी करने वाली कंपनी के ब्योरे

क्र.सं.	ब्योरे(Particulars)		(स्पष्ट अक्षरों में/In Block Letters)
1.	कंपनी का नाम		
2.	पैन नंबर (PAN No.)		
3.	पंजीकृत कार्यालय का पता		
4.	कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया रजिस्ट्रेशन नं.		
5.	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्राप्त करने के लिए दिया गया रजिस्ट्रेशन नं., यदि लागू हो		
6.	टेलीफोन नं.		
7.	फैक्स नं.		
8.	ई-मेल आईडी		
9.	**कारोबार के ब्योरे**		
	ए)	मुख्य कारोबारी गतिविधि का ब्योरा	
	बी)	एनआईसी (NIC) कोड	
	सी)	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अनुसार अनुमत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रतिशत	
	डी)	बताएं कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वचालित मार्ग अथवा अनुमोदन मार्ग में से किस मार्ग के तहत अनुमत है?	

	ई)	विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) का अनुमोदन, यदि कोई हो,	

II. जारी प्रतिभूति का प्रकार (जो लागू हो उस पर √ लगाएं)

1.	स्वेट ईक्विटी शेयर	( )
2.	स्टाक विकल्प योजना	( )
3.	विकल्प के प्रयोग करने पर जारी शेयर	( )

कृपया जारी प्रतिभूति के ब्योरे अलग से अनुबंध में दें जैसे जारी करने की तारीख, उन व्यक्तियों के नाम जिन्हें शेयर जारी किए गए हैं, शेयरों की संख्या, कीमत जिस पर शेयर जारी हुए, नकद (कैश) से इतर प्रतिफल का (यदि कोई) अन्य स्वरूप, विकल्पों (options) के मामले में (परिपक्वता की तारीख, पूर्व निर्धारित निर्गम कीमत, आदि) एवं निर्गम से संबंधित कोई अन्य ब्योरा।

भारतीय कंपनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा फाइल की जाने वाली घोषणा

(जो लागू न हो, उसे हटा/काट दें एवं अधिप्रमाणित करें)

हम एतद्द्वारा घोषित करते हैं कि :

1. हम, समय-समय पर यथा संशोधित, 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी में कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना (ESOP) के अंतर्गत शेयरों/स्वेट ईक्विटी शेयरों के निर्गम से संबंधित प्रक्रिया का अनुपालन करते हैं।

2. यह निवेश भारतीय रिज़र्व बैंक के स्वचालित मार्ग के अंतर्गत अनुमत सेक्टोरल कैप/सांविधिक उच्चतम सीमा के भीतर है एवं हम स्वचालित मार्ग के अंतर्गत निवेश करने के संबंध में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं (जो लागू न हो, उसे काट दें)।

   ए) कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना (ESOP) के अंतर्गत जारी विकल्प (आप्शन)

   अथवा

   बी) उल्लिखित मद सं. (ए) में दिए गए विकल्प का प्रयोग करने पर जारी शेयर

   अथवा

   सी) अनिवासियों को जारी स्वेट ईक्विटी शेयर

3. विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के दिनांक--------------------के अनुमोदन पत्र सं. ----------------के अनुसार शेयर जारी किए गए हैं।

4. प्राप्त एवं अब रिपोर्ट किया गया विदेशी निवेश धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और गैर कानूनी गतिविधियां (निरोधक) अधिनियम, 1967 के उपबंधों के अनुपालन में उपयोग में लाया जाएगा। हम पुष्टि करते हैं कि निवेश सभी लागू नियमावलियों और विनियमावलियों के उपबंधों का अनुपालन करता है।

5. 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी के विनियम 8 के अनुपालन में हम निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करते हैं:

   (i) अपने कंपनी सचिव से प्रमाणपत्र जिसमें प्रमाणित किया गया है कि

      ए) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), अधिनियम, 1992 अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियमावली, 2014 के अंतर्गत जारी विनियमों के तहत, जैसा भी मामला हो, स्वेट ईक्विटी शेयर जारी किए गए हैं/कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना (ESOP) निरूपित की गई है;

बी) कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है;

सी) सरकार का अनुमोदन, यदि कोई हो, की शर्तों का अनुपालन किया गया है;

डी) कंपनी इन विनियमों के तहत शेयर जारी करने के लिए पात्र है; और

ई) 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 8 के अनुसार प्रतिफल राशियों की प्राप्ति के साक्ष्य के रूप में भारत में प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा जारी मूल प्रमाणपत्र कंपनी के पास मौजूद हैं।

(ii) सेबी के पास पंजीकृत मर्चेंट बैंकर/सनदी लेखाकार द्वारा जारी प्रमाणपत्र जिसमें भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों को जारी शेयरों की कीमत निर्धारित करने के तरीके का उल्लेख हो।

6. कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना (ESOP)/स्वेट ईक्वटी शेयरों को जारी करने के लिए प्रतिफल की प्राप्ति हेतु सभी विप्रेषणों को स्वीकारने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आबंटित यूआईएन।

(आवेदक का हस्ताक्षर)*

नाम(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)

हस्ताक्षरकर्ता का पदनाम

स्थान:---------------------------

दिनांक:--------------------------

(*कंपनी के प्रबंध निदेशक/निदेशक/सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।

निवेश प्राप्तकर्ता भारतीय कंपनी के सचिव द्वारा फाइल किया जाने वाला प्रमाणपत्र

उल्लिखित ब्योरों के संबंध में हम निम्नवत प्रमाणित करते हैं कि

ए) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), अधिनियम, 1992 अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियमावली, 2014 के अंतर्गत जारी विनियमों के तहत, जैसा भी मामला हो, स्वेट ईक्विटी शेयर जारी किए गए हैं/कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना (ESOP) निरूपित की गई है;

बी) कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है;

सी) सरकार का अनुमोदन, यदि कोई हो, की शर्तों का अनुपालन किया गया है;

डी) कंपनी इन विनियमों के तहत शेयर जारी करने के लिए पात्र है; और

ई) 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 8 के अनुसार प्रतिफल राशियों की प्राप्ति के साक्ष्य के रूप में भारत में प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा जारी मूल प्रमाणपत्र कंपनी के पास मौजूद हैं।

(कंपनी सचिव का नाम और हस्ताक्षर)
(सील)

केवल भारतीय रिज़र्व बैंक के उपयोग के लिए: